


(35)

(161)

प्रकाश अंगठ 129-८/13

माननीय राज स्व मंडल म ० प्र० गवालियर

C.R.
R-21अधिनायक प्राप्त तथा श्री लक्ष्मण प्रति प्रताद स १० तिथि दाल मु पंच त ८० त्योंथर
जिला रेखा म ० प्र०

--निगरानीकर्ता

जना म.

- F-129-८/13
- १- छोटेलाल कुशावाहा तथा मुसारु स १० पंच तद्य त्योंथर जिला रेखा म ० प्र०
 - २- रामावतार तथा श्री रंजु कुशावाहा स १० पंच तद्य त्योंथर, जिला-रेखा म ० प्र०

--ने निर्णयकर्ता

प्रधानकर्ता श्री भीमोत्तमलाल
भ्रष्टा डास, उस्कुनी
रीना, दिनांक ७-१२-१२

12/12/12
प्रधान १२-१२-१२ अंत
प्रधान डास पर प्र० ५६५५
3/12/12

3/12/13

मान्यता,

प्रकरण का संशिक्षण विवरण निम्नानुसार है :-

- १- प्रधान म पंच तद्य त्योंथर वृत्त दाल के भूमि भासरा इ ०- ७८/१

रक्त ०,०४५ एवं भूमि भासरा इमांक - ७०/५ रक्ता ०,०४१ के सम्मेक्ष

द्वातु माननीय अधीक्षित न्यायालय नायब तक्षीलदार तद्य त्योंथर वृत्त दाल

के न्यायालय में म ० प्र० भू राज स्व संहिता की धारा - १२ के अधीन

आवेदन पत्र प्रसुत किया गया। अधीक्षित न्यायालय द्वारा बिना निगरानी

कर्ता सरकार को सूचना दिये वैर निगरानीकर्ता के कर्जे दबाल की

भूमि भासरा न ०- ७८/७ एवं ८३/७ जो वैशिष्ट्य देवी से दान पत्र प्राप्त

में दिनांक ३/१२/१२

(35)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.129-II.13 जिला रीवा

अधिकारी प्राप्ति विरुद्ध दोषेभाल अद्यवाई

1	2	3
15-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री...मोतीमल मिश्र...अधिवक्ता द्वारा यह नायबं तहसीलदार तहसील...को प्रकरण क्रमांक २२/५०:१२.११.१२...में पारित आदेश दिनांक १२-९-१२...के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भू- राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर...रीवा...के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक १४-०३-१९...को कलेक्टर...रीवा...के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	3

जो वैदेन पत्र प्रस्तुत किया गया। अतः निम्न तथा नियम द्वारा बिना नियमन-

ना सरदौ कास तकार को मूदना दिये तो नियमनीकर्ता के कब्जे देखा जाएगा।

मूदना करा नं ० - ७७७ रु ८३८ जो कोडिंग देवी से दान पत्र प्राप्त

Moti Lal Singh
3/12/2019